

प्राचीन भारत में राजव्यवस्था का गणतंत्रात्मक स्वरूप और इसका वर्तमान संविधान पर प्रभाव

डॉ. प्रशान्त पंवार

सहायक आचार्य

राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय,
जोधपुर (राज.)

भारत में प्राचीन काल से ही संविधान एवं गणतंत्र प्रचलन में रहे हैं। जनतंत्र, प्रतिनिधियों द्वारा शासन, शासक की शक्तियों पर नियंत्रण की व्यवस्था, विधि का शासन जैसी संकल्पनाओं की जड़ें प्राचीन भारत में देखी जा सकती हैं जिसके विभिन्न प्रमाण इस प्रकार हैं—

मनुस्मृति के प्रमाण—

- प्राचीन भारत और सम्भवतः विश्व में मनु प्रथम विचारक थे जिन्होंने संविधान के आधारभूत सिद्धांतों का व्यापक संकलन किया।
- आधुनिक संविधान में सबसे आधारभूत तत्व कि शासन को उत्तरदायित्व से युक्त होना चाहिए, इसकी व्यवस्था मनुस्मृति में देखने को मिलती है। मनु का राजा जनकल्याण के लिए उत्तरदायित्व के बंधन से बंधा हुआ है।
- मनु ने राजा का मुख्य कार्य प्रजा रक्षा एवं कल्याण माना है।
- भारत के वर्तमान संविधान के अनु. 74 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा। ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था हमें मनु स्मृति में भी देखने को मिलती है। मनु स्मृति के सातवें अध्याय के श्लोक 56, 57 में मनु ने शासन को परामर्श दिया है कि वह राजकार्य के कुशल प्रबंधन के लिए सात-आठ मंत्रियों की नियुक्ति करे और उनकी सहायता और सलाह से ही अपने कार्य सम्पन्न करे।¹

¹ पं. गिरिजा प्रसाद द्विवेदी : मनुस्मृति अर्थात् मानव धर्मशास्त्र 1917 नवल किशोर विद्यालय, गोमती तट, लखनऊ पृष्ठ 215-217

- सातवें अध्याय में ही मनु ने विस्तार से मंत्रियों की योग्यताओं, अधिकार और कर्तव्य, मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली, पद और गोपनीयता के सिद्धांत इत्यादि का वर्णन किया है जो वर्तमान संविधान में प्रासंगिक है।
- इसी प्रकार मनुस्मृति में प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक शक्ति के प्रत्यायोजन के सिद्धांत, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण यानि प्रादेशिक और स्थानीय प्रशासन, अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियंत्रण, दण्डनीति, न्याय व्यवस्था एवं शासक पर संस्थागत नियंत्रण के सिद्धांत का वर्णन किया है जिनके आधार पर भारत के वर्तमान संविधान की नींव रखी गई है।²
- मनुस्मृति में विदेश नीति, मण्डल सिद्धांत, षाड्गुण्य नीति, राजनय और दूत व्यवस्था एवं करारोपण सिद्धांत का विशद वर्णन देखने को मिलता है। मनु सातवें अध्याय के श्लोक 129 में लिखते हैं —

यथाल्पाल्पमदन्त्यार्थ वार्योकोवत्सषट्पदाः।

तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः करः॥

अर्थात् जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और भ्रमर अपने-अपने खाद्य क्रमशः रक्त, दुग्ध एवं मधु को थोड़ा-थोड़ा ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से वार्षिक कर (टैक्स) ग्रहण करना चाहिए यानि प्रजा पर राजा द्वारा करों का अत्यधिक भार नहीं डालना चाहिए।

वेद प्रमाण— वैदिक काल में राजव्यवस्था का स्वरूप गणतंत्रात्मक था अतः लोकतंत्र की अवधारणा वैदिक युग की ही देन है। गणतंत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में चालीस बार, अथर्ववेद में नौ बार और ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक बार किया गया है।

- ऋग्वेद में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है जिसमें राजा मंत्री और विद्वानों से विचार-विमर्श करने के बाद ही निर्णय लेता था। ये आधुनिक समय की संसद और मंत्रिपरिषद जैसी संस्थाएं थीं।
- सभा और समिति राजा की शक्तियों पर नियंत्रण लगाने का कार्य करती थी। ये संस्थाएं राजा को पदस्थ और अपदस्थ भी कर सकती थी। सामान्य रूप से वैदिक काल में राजपद पैतृक था लेकिन कभी-कभी संघ द्वारा उसे हटाकर दूसरे राजा का निर्वाचन भी किया जाता था।

² वही, पृष्ठ-228-229

- वैदिक कालीन सभा नामक संस्था धर्म संघ की धर्मसभा, शिक्षा संघ की विद्यासभा और राज्यों की राजसभा थी।
- वैदिक कालीन समिति नामक संस्था जनसाधारण की संसद या सभा थी जिसमें गुणीजनों को स्थान मिलता था।
- वैदिक काल में स्त्रियां भी सभा और समिति का सदस्य होती थी।
- वैदिक काल में शासन का संचालन तीन उच्च सभाओं **भारती, इडा और सरस्वती** नामक सभाओं द्वारा किया जाता था। भारती परम् विद्वानों की सभा, इडा नागरिक प्रशासन से सम्बन्धित सभा और सरस्वती न्याय एवं दण्ड व्यवस्था से सम्बन्धित सभाएं थी। इस प्रकार इन सभाओं से हमें **शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत एवं विधि के शासन के सिद्धांत के दर्शन** होते हैं।
- वेदों में अनेक स्थानों पर महानाग्नि नामक सभा का उल्लेख मिलता है। इस सभा के सभासद ज्ञान शक्ति और सैन्य शक्ति दोनों पर अधिकार रखते थे। इस सभा को राजा को प्राणदण्ड देने का भी अधिकार था।
- अथर्ववेद (20—136—6) में ओखली का उदाहरण देते हुए महानाग्नि कहती है कि जिस प्रकार लकड़ी की बनी ओखली के बीच में धान डालकर कूटते हैं उसी प्रकार सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए हम सभासद तथ्य को खूब कूटते हैं और व्यापक विचार—विमर्श करके निर्णय लेते हैं।
- अथर्ववेद (3—4—2) में कहा गया है कि राजा को चुनने वाले विश और पंचप्रदिशः थे। इनमें विश आर्थिक संस्थाएं और पंचप्रदिशः ग्राम समितियां थी। डॉ. यू.एन. घोषाल ने राजा को जन स्वीकृति के आधार पर शासक माना है।³
- वैदिक साहित्य के अध्ययन से सिद्ध होता है कि राजा निर्वाचित होता था एवं उसके निर्वाचन में जनता के सभी वर्ग भाग लेते थे, प्रजा को मताधिकार प्राप्त था।
- वैदिक काल के संविधान और शासन की झलक दक्षिण भारत के चेर, चोल और पांड्य राज्यों में मिलती है, जहां शासन का संचालन राजा के साथ पाँच निर्वाचित समितियां सामूहिक रूप से करती थी। ये पांच समितियां —

³ डॉ. यू.एन. घोषाल: स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृष्ठ 343

1. आम जनता की समिति 2. ब्राह्मण यानि विद्वानों और विषय विशेषज्ञों की समिति
3. चिकित्सकों की समिति 4. ज्योतिषियों की समिति 5. मंत्रियों की समिति।⁴
- वैदिक कालीन सभा और समितियों के कार्य संचालन में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था।⁵

महाभारत का शांति पर्व—

- वेदव्यास द्वारा लिखित महाभारत के शांति पर्व में राजधर्म, दण्ड नीति, शासन पद्धति, मंत्रिपरिषद, कर—व्यवस्था के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है अतः शांति पर्व भी भारत में प्राचीन संवैधानिक विकास में मील का पत्थर है।
- शांति पर्व के 67वें अध्याय में **राज्य उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत** का संकेत देखने को मिलता है, जहां ब्रह्मा ने जनसहमति के आधार पर मनु को राजा नियुक्त किया और मनु ने भी व्यापक **जनसहमति से वैधता (Legitimacy)** प्राप्त कर शासन किया। वैधता आज के आधुनिक संवैधानिक सरकार की रीढ़ होती है।
- शांति पर्व में प्रजा की सुरक्षा और सुख में वृद्धि करना और सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने को राजा का कर्तव्य बताया गया है जिन्हें हम आधुनिक नीति निदेशक तत्व कह सकते हैं।
- शांति पर्व के अनुसार राजपद भले ही पैतृक हो लेकिन उसे धारण करने से पूर्व व्यापक जनसहमति अनिवार्य है। महाभारत में जनता की मांग पर ही धृतराष्ट्र को राजगद्दी से उतारकर युधिष्ठिर को राजा बनाया जाता है। इस प्रकार आम जनता भी राजनीति में भाग लेती थी।
- महाभारत के शांति पर्व में भी मनुस्मृति में उल्लेखित मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से प्रशासनिक निर्णय लेने के सिद्धांत का उल्लेख है।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र—

- मौर्य वंश के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रन्थ अर्थशास्त्र प्राचीन भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा में सर्वाधिक

⁴ वी. कनवसभाई पिल्लई : तमिलस एटीन हण्ड्रेड इयर्स एगो, पृष्ठ 119—120

⁵ के.पी. जायसवाल : हिन्दू पॉलिटी, पृष्ठ 17

मूल्यवान रचना है। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली द्वारा लिखित **द प्रिंस** से की जाती है।

- द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया में अर्थशास्त्र को 300 वर्ष ई.पू. की रचना माना गया है। बी.ए. सालेटोर ने व्यवस्थित अध्ययन कर यह माना है कि अर्थशास्त्र 400 से 300 ई.पू. में लिखा गया था।⁶
- कौटिल्य ने भी राज्य उत्पत्ति के बारे में जनसहमति पर आधारित सामाजिक समझौता सिद्धांत का उल्लेख किया है।
- अर्थशास्त्र में राज्य का अनिवार्य कार्य प्रजा रक्षण और जनकल्याण को माना गया है।
- कौटिल्य ने प्राचीन यूनानी विचारक अरस्तू की भांति **वितरणात्मक न्याय** को राज्य का दायित्व बनाकर राज्य को लोककल्याणकारी माना है। कौटिल्य लिखता है “अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त का संरक्षण, संरक्षित का संवर्धन और संवर्द्धित का उचित प्रक्रिया से योग्य व्यक्तियों में वितरण ही राज्य का प्रमुख कार्य है।”
- कौटिल्य की न्याय व्यवस्था में विवरणात्मक न्याय और सुधारक न्याय का मिश्रण देखने को मिलता है।
- इसी प्रकार कौटिल्य ने कर-व्यवस्था, आर्थिक प्रबंधन, सामाजिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन और विदेश नीति पर भी व्यापक विचार रखे हैं जो आज भी विश्व के सभी संविधानों के लिए प्रासंगिक है।
- अर्थशास्त्र में शासक के गुणों, शासक की दिनचर्या, शासक की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान, मंत्रियों के दायित्व, उनकी योग्यताएं, पद और गोपनीयता का सिद्धांत इत्यादि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।
- कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जनमत के प्रति शासक को सचेत रहने के लिए कहा है। कौटिल्य ने राजा द्वारा अपने दायित्वों का पालन न किये जाने पर अथवा उसके द्वारा शक्ति का दुरुपयोग किये जाने पर, प्रजा को राजा का परित्याग कर देने का अधिकार भी प्रदान किया है। कौटिल्य की स्पष्ट मान्यता है कि “**निरंकुश राजा की अपेक्षा राजा का परित्याग करना ही श्रेयस्कर है।**”

⁶ बी.एल. सालेटोर : एसीएण्ट इण्डियन पॉलिटिकल थॉट एण्ड इन्स्टीट्यूशन, एशिया पब्लिकेशन्स हाउस बम्बई, 1963 पृष्ठ 46

- कौटिल्य के अर्थशास्त्र के उपरान्त उनकी शिक्षाओं को शुक्राचार्य द्वारा लिखित “शुक्रनीति सार” में आगे बढ़ाया गया है।

भारत में गणराज्यों के काल खण्ड⁷—

भारत में वैदिक काल से लेकर लगभग चौथी-पांचवीं शताब्दी तक बड़े पैमाने पर जनतंत्रीय व्यवस्था रही। इस युग को सामान्यतः तीन भागों में बांटा जाता है—

1. प्रथम काल खण्ड 450 ई.पू.— इसमें पिप्पली वन के मौर्य, कुशीनगर और काशी का मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, मिथिला के विदेह और वैशाली के लिच्छवी।
 2. दूसरा काल खण्ड 300 ई.पू.— इसमें अटल, अराट, मालव और मिसोई नामक गणराज्यों का उल्लेख मिलता है।
 3. तीसरा काल खण्ड 350 ई.— इसमें पंजाब, राजपूताना और मालवा में अनेक गणराज्य देखने को मिलते हैं। जिनमें लोधेय, मालव और वृष्णि संघ आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।
- आधुनिक आगरा और जयपुर के क्षेत्र में विशाल अर्जुनायन गणतंत्र था जिसकी मुद्राएं खुदाई में मिली है। यह गणराज्य सहारनपुर, भागलपुर, लुधियाना और दिल्ली के बीच फैला था, इसमें तीन छोटे गणराज्य और शामिल थे। इससे इनका रूप संघात्मक राज्य का बन गया था। गोरखपुर और उत्तर बिहार में भी अनेक गणतंत्र थे।
 - कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी लिच्छवी, बृजक, मल्लक, मदक और कम्बोज आदि गणराज्यों का उल्लेख है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में जनपद शब्द का उल्लेख अनेक स्थानों पर किया गया है जिनकी शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में रहती थी।
 - ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज ने भी अपने यात्रा वृत्तान्त इण्डिका में शुद्रक, मालव और शिवि आदि गणराज्यों का वर्णन किया है।
 - बौद्ध साहित्य में एक घटना का उल्लेख है जिसमें महात्मा बुद्ध से एक बार पूछा गया कि गणराज्य की सफलता के क्या कारण हैं? इस पर बुद्ध ने सात कारण बतलाये—
 1. जल्दी-जल्दी सभाएं करना और उनमें अधिक से अधिक सदस्यों का भाग लेना।
 2. राज्य के कामों को मिल-जुलकर करना।
 3. कानूनों का पालन करना।
 4. महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार न करना।

⁷ ओम प्रकाश कश्यप : जागरण 21 जनवरी, 2013

5. वृद्ध व्यक्तियों के विचारों का सम्मान करना।
6. स्वधर्म में दृढ़ विश्वास रखना।
7. अपने कर्तव्य का पालन करना।
- इसी प्रकार मौर्य सम्राट अशोक के विभिन्न शिलालेखों में भी अनेक गणराज्यों का उल्लेख मिलता है।
- गौतम बुद्ध के समय 10 मुख्य गणतंत्र के जो कि इस प्रकार हैं—
1. कपिल वस्तु का शाक्य गणतंत्र— इसी गणतंत्र में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ।
2. समुसुमारा का भाग गणतंत्र
3. अलकप्प का बुली गणतंत्र ।
4. केसपुत्त का कलाम गणतंत्र— गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के बाद आचार्य अलार कलाम से सांख्य दर्शन की दीक्षा प्राप्त की थी।
5. रामग्राम का कोलिय गणतंत्र।
6. कुशीनगर का मल्ल गणतंत्र।
7. पिप्पलिवन का मोटिय गणतंत्र— चन्द्रगुप्त मौर्य का जन्म इसी गणतंत्र में हुआ।
8. वैशाली का लिच्छवि गणतंत्र— बुद्धकाल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणतंत्र।
9. पावा का मल्ल गणतंत्र।
10. मिथिला का विदेह गणतंत्र।

महाजनपदों में गणतंत्र—

- भारत में छठी सदी ई.पू. से महाजनपदों का उदय हुआ। आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ।
- भारत में राजनीतिक इतिहास का आरम्भ महाजनपदों के उदय यानि छठी सदी ई.पू. से माना जाता है।
- भारत में प्रमुख रूप से 16 महाजनपद थे जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रन्थ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रन्थ भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपदों में अश्वक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे स्थित था। वज्जि और मल्ल जनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था की जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी।

- वैशाली का लिच्छवि गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है जो वज्जि संघ की राजधानी था। इसका गठन पांचवीं सदी ई.पू. में हुआ।

16 महाजनपद –

1 काशी जनपद	2. कौशल जनपद
3 अंग जनपद	4 वज्जि जनपद
5 मल्ल जनपद	6 चेदि जनपद
7 वत्स जनपद	8 कुक जनपद
9 पांचाल जनपद	10 मत्स्य जनपद
11 शूरसेन जनपद	12 अश्वक जनपद
13 अवन्ति जनपद	14 गांधार जनपद
15 कम्बोज जनपद	16 मगध जनपद

- भारत में गणराज्यों का सबसे अधिक विस्तार वाहीक (आधुनिक पंजाब और सिंध) प्रदेश में देखने को मिलता है। इसी क्षेत्र के शूद्रक और मालव गणराज्यों ने सिकन्दर के आक्रमण का डटकर प्रतिरोध किया।
- भारत में गणराज्यों का दूसरा गुच्छा सिंधु नदी के दोनों तटों पर गिरिहवरों में बसने वाली महाबलशाली जातियों का था, जिन्हें ग्रामणीय संघ कहते थे। इन्हें ही वर्तमान में कबायली कहा जाता है।
- गणराज्यों का तीसरा समूह सौराष्ट्र प्रदेश में स्थित था।
- गण निर्माण की इकाई “कुल” थी। प्रत्येक कुल का एक व्यक्ति गणसभा का सदस्य होता था। उसे पाणिति ने “गोत्र” कहा है।
- गणसभा में गण के समस्त प्रतिनिधियों को सम्मिलित होने का अधिकार था। गणसभा शासन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करती थी एवं गणसभा ही कानून निर्माण करती थी।

- गणसभा में आधुनिक संसदीय प्रणाली की तरह कानून विधेयक या प्रस्ताव (इप्ति) के रूप में रखा जाता था, उस पर तीन वाचन होते थे और गणसभा के सदस्य प्रस्ताव पर शलाकाओं द्वारा मतदान करते थे।
- भारत के विभिन्न गणराज्यों का पतन गुप्तकाल में तीसरी सदी से छठी सदी के बीच हुआ। समुद्रगुप्त ने लगभग सारे गणराज्यों का अन्त कर उसे अपने महान् गुप्त साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन इसके बाद भी ग्राम स्तर पर ग्राम संघ या पंचायत जैसे प्रतिनिधि निकाय हिन्दू और मुस्लिम राजवंशों के शासन के दौरान और अंग्रेजी राज के आगमन तक विद्यमान रहे।